न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 359/2019

प्रभु पुत्र श्री चन्द्र उर्फ रामचन्द्र जाति जाट, निवासीः भूतावाली ढाणी, ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. डालू पुत्र गुल्ला
2. नन्दा पुत्र गुल्ला
3. कालू पुत्र गुल्ला
4. रमेश पुत्र भंवर
5. मूल्या पुत्र रोडू
6. सीताराम पुत्र बोदू
7. ग्यारसी लाल पुत्र बोदू
8. तीजा पत्नि बाबूलाल
9. अशोक पुत्र बाबूलाल
10. सुरेश पुत्र बाबूलाल
11. प्रकाश पुत्र बोदू
12. हनुमान पुत्र नारायण
13. मंजू देवी बेवा बंशीलाल
    समस्त जाति जाट, निवासीः भूतावाली ढाणी, ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।
14. पूजा नाबालिक पुत्री बंशीलाल जरिये संरक्षिका माता मंजू देवी पत्नि बंशीलाल जाति जाट, निवासीः भूतावाली ढाणी, ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।
15. अभिषेक नाबालिक पुत्र बंशीलाल जरिये संरक्षिका माता मंजू देवी पत्नि बंशीलाल जाति जाट, निवासीः भूतावाली ढाणी, ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।
16. मंगलराम पुत्र चन्द्र उर्फ रामचन्द्र जाति जाट, निवासीः भूतावाली ढाणी, ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।
17. झूंथाराम पुत्र चन्द्र उर्फ रामचन्द्र जाति जाट, निवासीः भूतावाली ढाणी, ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।
18. गंगा देवी पुत्री चन्द्र उर्फ रामचन्द्र जाति जाट, निवासीः भूतावाली ढाणी, ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।
19. गोपाली देवी पुत्री चन्द्र उर्फ रामचन्द्र जाति जाट, निवासीः भूतावाली ढाणी, ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।
20. भूरी देवी पत्नि कालूराम जाति जाट, निवासीः भूतावाली ढाणी, ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील व जिला जयपुर।
22. उप पंजीयक तृतीय, पंजीयन कार्यालय, झोटवाडा, जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.05.2019 उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर वाद संख्या 28/2019 उनवानी डालू बनाम प्रभु व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

उपस्थितः

श्री राजकुमार चौधरी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री रामवतार शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ल. 20

निर्णय दिनांकः 27.07.2020

–: निर्णय :–

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर के वाद संख्या 28/2019 बउनवानी डालू बनाम प्रभु व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 29.05.2019 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भूमि खसरा नंबर 534 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 534/3 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 534/787 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 536 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 537 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 555/2 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 561 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 562 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 563 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर में स्थित है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में पक्षकारान ने आपसी सहमति से एक बंटवारानामा दिनांक 04.01.2019 को निष्पादित किया गया जो 500/– रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया है, उक्त सहमति पत्र में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अर्थात बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पक्षकारान ने आपसी सहमति की गई थी किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त तकासमा सहमति करने से इंकार कर दिया। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है तथा आपस में भाईचारा बना रहे इसलिये मिल बैठकर आपसी सहमति से तकासमा किये जाने पर सहमत हो गये तथा सहमति से ही अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी कृषि भूमि के अनुसार कब्जे अनुसार एक नक्शा ट्रेस भी तैयार किया गया जिसमे सभी वादीगण ने अपनी सहमति प्रदान कर दी परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 01.03.2019 को ईष्यावश उक्त तकासमा करने से मना करने के कारण यह दावा तकासमा न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद स्वीकार कर वाद में वर्णित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर दिनांक 04.01.2019 को निष्पादित सहमति पत्र व नक्शा ट्रेस में उल्लेखित प्रकार से कब्जा अनुसार विभाजन की डिक्री फरमाई जाकर अलग से खाता कायम किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद में उल्लेखित सहमति के आधार पर बंटवारानामा के आधार पर नजरिये नक्शे के अनुसार वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट से करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर बाद बहस मनन अपने निर्णय दिनांक 29.05.2019 के द्वारा वाद प्राथमिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

डिक्री किया जाकर तहसीलदार जयपुर को आदेशित किया कि वादग्रस्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर उभयपक्षों की उपस्थिति में वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान काश्तकारी विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुये कुरैजात तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का उसके सहकाश्तकारों के मध्य काफी समय पूर्व से ही मनबट के आधार पर बंटवारा हो रखा है एवं वर्तमान में समस्त पक्षकारान मनबट बंटवारे के अनुसार ही काबिज काश्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर ना तो तनकीयात कायम की गई एवं ना ही साक्ष्य सबूत ग्रहण कर तनकीवार निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद पर कोई स्वीकारोक्ति नहीं दी थी बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के हितों की अनदेखी करते हुये एवं मौके के विपरीत प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित किये जाने में महान कानूनी त्रुटि कारित की है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.05.2019 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 29.05.2019 विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा किये जाने के आदेश पारित किये है। अपीलान्ट ने प्रकरण को लंबित रखने के लिये ना तो राजीनामा पर हस्ताक्षर ही किये एवं ना ही तहसीलदार द्वारा नोटिस दिये जाने के बावजूद कुरैजात बनाने के समय मौके पर उपस्थित ही हुआ। अपीलार्थी ने मात्र प्रकरण मे देरी करने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर. आर.टी. 2010 (2) पेज 801, आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 855, आर.आर. टी. 2015 (1) पेज 232 पेश किये।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.05.2019 को प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित की। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट/प्रतिवादी के बाद तामील नोटिस को देखने से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा नोटिस लेने की इंकारी किये जाने पर सी.पी.सी. के आदेश 5 नियम 17 की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये अपीलान्ट की तामील चस्पानगी के माध्यम से मौके पर उपस्थित गृह पहचानकर्ता के समक्ष की गई है। उक्त गवाहों के उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर बाद तामील नोटिस की प्रति पर अंकित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की सम्यक रूप से तामील होना प्रमाणित है बावजूद इसके अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहा, इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से अपीलान्ट/प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। जिससे अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में स्वयं की फर्जी तामील बाबत उठाये गये उज्र निराधार पाये जाते है। वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के बाबत 500/– रूपये स्टाम्प पर निष्पादित बंटवारानामा/सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में कोई विरोधाभास या उज्र अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.05.2019 में राजस्व मंडल के विभाजन संबंधी नियमानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विवादग्रस्त आराजीयात के बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की है। जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में ऐसा कोई सारभूत तथ्य या आधार वर्णित नहीं किया गया है जिससे कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात के राजस्व मंडल के विभाजन संबंधी नियम बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुरूप विभाजन बाबत जारी प्राथमिक निर्णय डिक्री से कोई हानि, दुविधा या हक अधिकार का हनन हुआ हो। इसके विपरीत अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के साथ कोई लिखावट, पारिवारिक बंटवारानामा व अन्य कोई दस्तावेजात प्रस्तुत न कर ऐसे कोई तथ्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है जिससे कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल के नियम बाई मीट्स एण्ड् बाउण्ड्स के अनुसरण में की गयी प्राथमिक निर्णय डिक्री के अतिरिक्त विभाजन बाबत अन्य कोई यथोचित आदेश पारित किया जा सके। उपरोक्त तथ्यों से बखूबी साबित पाया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा आधारहीन तथ्यों का समावेश करते हुये मात्र विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन के प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से यह अपील प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में सभी पक्षकारान को राजस्व रिकॉर्ड अनुसार में वर्णित हिस्सा ही प्रदत्त किया जाना पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल के नियमानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पक्षकारान के मध्य तकासमा किये जाने का उचित निर्णय पारित किया गया है जिसमे मेरे द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर का प्रारंभिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2019 यथावत रखा जाता है। उभयपक्षकारान अग्रिम कार्यवाही बाबत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.08.2020 को उपस्थित होवे। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 27.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर